***प्रेस नोट**

बिहार में जिन मतदाताओं ने एन्यूमरेशन फॉर्म (EF) नहीं लौटाए/पते पर नहीं मिले – उनकी सूची सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई
1 अगस्त से प्रारूप मतदाता सूची में नाम जोड़ने/हटाने/संशोधन के लिए आम जनता से आपत्तियाँ आमंत्रित की जाएंगी – इसके लिए पूरा एक महीना उपलब्ध होगा

बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां प्रत्येक मतदान केंद्र (PS) पर 1200 से कम मतदाता होंगे।
मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों से बचने के लिए राज्य में 12,817 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं।
बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) आदेश दिनांक 24 जून 2025 (पृष्ठ 2, बिंदु 6/7 एवं पृष्ठ 7, बिंदु 2(क)) के अनुसार, पहले प्रति मतदान केंद्र 1500 मतदाताओं की सीमा को घटाकर 1200 किया गया था।
इन 12,817 नए मतदान केंद्रों को जोड़ने के बाद, बिहार में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 77,895 से बढ़कर 90,712 हो जाएगी।
बिहार की इस बड़ी उपलब्धि को अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भी अपनाएंगे।

2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO), जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO), निर्वाचक नामावलियों के रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (ERO) और बीएलओ (BLO) ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की हैं और 29.62 लाख ऐसे मतदाताओं की विस्तृत सूची साझा की है, जिनके फॉर्म अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं।
साथ ही 43.93 लाख ऐसे मतदाताओं की सूची भी साझा की गई है जो अपने पते पर नहीं पाए गए।
सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने जिला अध्यक्षों और लगभग 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) के माध्यम से इन शेष मतदाताओं से संपर्क करें।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूरी चुनाव व्यवस्था – जिसमें राजनीतिक दल भी शामिल हैं – एक मिशन मोड में कार्य करें ताकि 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची से कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।
राजस्थान में भी तैयारियां प्रारंभ
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु राजस्थान में भी तैयारियां शुरू कर दी है।
राज्य स्तर पर 271 मास्टर ट्रेनर्स को sir से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स जिला एवं विधानसभा स्तर पर 52469 BLO एवं 5247सुपरवाइजर को प्रशिक्षित करेंगे।